प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक -04 फरवरी, 2019**

विषय- मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या- 06/2018/216/38-4-18-123 (विविध)/2017,दिनांक-02 फरवरी, 2018 के प्रस्तर- 2 (3)-योजनान्तर्गत पात्रता के उपप्रस्तर-2 (3.4) में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अपने पत्र संख्या- 2075/वि0का0/मु0मं0आ0यो0-ग्रा0/201 दिनांक-10.10.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या- 06/2018/216/38-4-18-123(विविध)/2017, दिनांक 02 फरवरी, 2018 के प्रस्तर-2(3)-योजनान्तर्गत पात्रता के उपप्रस्तर-2(3.4) में आवासविहीन कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवारों को आवासीय सुविधा का लाभ उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 02.02.2018 में संशोधन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- आपके उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या- 06/2018/216/38-4-18-123(विविध)/2017, दिनांक 02 फरवरी, 2018 के प्रस्तर-2(3)-योजनान्तर्गत पात्रता के उपप्रस्तर-2(3.4) में विहित निर्देशों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

शासनादेश संख्या-06/2018/216/38-4-18-123 (विविध)/2017, दिनांक 02.02.2018, के अन्तर्गत वर्तमान व्यवस्था-	**शासनादेश संख्या-06/2018/216/38-4-18-123 (विविध)/2017, दिनांक 02.02.2018, के अन्तर्गत एतदद्वारा संशोधित व्यवस्था**
प्रस्तर-2 (3) योजनान्तर्गत पात्रता **उप प्रस्तर-2(3.4)** प्रदेश के कतिपय ग्रामीण क्षेत्र में JAPANESE ENCEPHALITIS (जे0ई0) /ए0ई0एस0 से प्रभावित ऐसे परिवार निवास कर रहे हैं, जो आवासविहीन हैं या कच्चे/जर्जर आवासों में निवास कर रहे हैं।	**प्रस्तर-2 (3) योजनान्तर्गत पात्रता** **उप प्रस्तर-2(3.4)** प्रदेश के कतिपय ग्रामीण क्षेत्र में JAPANESE ENCEPHALITIS (जे0ई0)/ ए0ई0एस0/कुष्ठ रोग से प्रभावित ऐसे परिवार निवास कर रहे हैं, जो आवासविहीन हैं या कच्चे/जर्जर आवासों में निवास कर रहे हैं।

3- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव

.....2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-04/2019/80(1)/38-4-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ0 प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, न्याय, उ0 प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, नियोजन, उ0 प्र0 शासन।
7- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0 प्र0 शासन।
8- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
9- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0 प्र0 शासन।
10- निदेशक पंचायतीराज, उ0 प्र0।
11- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
12- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
13- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
15- समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
16- समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
17- निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
18- समस्त अनुभाग, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
19- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अच्छे लाल सिंह यादव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।